

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 209 / 2019

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि०

पंजीकृत कार्यालय:-19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर

शाखा कार्यालय:- आदर्श नगर, अजमेर

जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

- (1). श्री सज्जन कुमार प्रजापती पुत्र श्री बद्रीलाल प्रजापती,
निवासी:- 70, प्रजापती गली ग्राम पीपलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर।
- (2). श्रीमत् रामकुवारी पत्नि उगमाराम,
निवासी:- 70, प्रजापती गली ग्राम पीपलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
व खेवट खतौनी नम्बर 145 नया 43 पुराना, खसरा नम्बर 1104
ग्राम पीपलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर।
- (3). श्री बद्रीलाल प्रजापत पुत्र श्री उगमाराम,
निवासी:- 70, प्रजापती गली, ग्राम पीपलिया, तहसील भिनाय जिला अजमेर।
- (4). श्री रामधन कुमार पुत्र श्री जुग्गा कुमार 9, न्यु प्रकाश कॉलोनी,
तहसील केकडी जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण (ऋणी / जमानती)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्क्यूराईटेशन रिक्सटक्शन
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री प्रवीण सिंह राजावत

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 02.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 को दिनांक 08.08.2016 को रु 9,00,000/- (अक्षरे नौ लाख रुपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम पीपलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर, के खेवट खतौनी नम्बर 145 नया 43 पुराना खसरा नं० 1104 पर स्थित आवासीय प्लॉट, क्षेत्रफल 2000 वर्ग फुट है, जिसके दानपत्र विलेख का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, नागोला में दिनांक 25.07.2016 को पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या 4 क्रम संख्या 641/2016 पृष्ठ संख्या 641, पर पंजीयन किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 04 पेज क्रमांक 64 पृष्ठ संख्या 67 पर चस्पा किया गया है जिसकी चतुर्थ सीमाएं - पूर्व -आम रास्ता, पश्चिम -बद्रीलाल प्रजापत की खातेदारी भूमि, उत्तर-बद्रीलाल प्रजापत की खातेदारी भूमि व शेष भाग ख० नं० 1104, दक्षिण -खसरा नं० 1104 का शेष भूमि, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.12.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 14.05.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रुपये-9,11,589 (अक्षरे नौ लाख ग्यारह हजार पांच सौ नवासी रुपये मात्र) का जारी



William
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति ग्राम पीपलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर, के खेवट खतौनी नम्बर 145 नया 43 पुराना खसरा नं0 1104 पर स्थित आवासीय प्लॉट, क्षेत्रफल 2000 वर्ग फुट है, जिसके दानपत्र विलेख का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, नागोला में दिनांक 25.07.2016 को पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या 4 क्रम संख्या 641/2016 पृष्ठ संख्या 641, पर पंजीयन किया गया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 04 पेज क्रमांक 64 पृष्ठ संख्या 67 पर चस्पा किया गया है जिसकी चतुर्थ सीमाएं-पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम-बद्रीलाल प्रजापत की खातेदारी भूमि, उत्तर-बद्रीलाल प्रजापत की खातेदारी भूमि व शेष भाग ख0 नं0 1104, दक्षिण-खसरा नं0 1104 का शेष भूमि, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 02.12.2019 को सुनाया गया।



Atul Kumar
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर